शासकीय कुंजबिहारी चौबे महाविद्यालय

लाल बहादुर नगर

जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से सम्बद्ध

प्रवेश विवरणिका

शासकीय कुंजबिहारी चौबे महाविद्यालय

लाल बहादुर नगर

जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से सम्बद्ध

प्रवेश विवरणिका

चलो धरती बचाएँ...
कार्यक्रम से जुड़ें और जोड़ें...

-: विनीत :-

शासकीय कुंजबिहारी चौबे महाविद्यालय

लाल बहादुर नगर

जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

फोन नं. 07823-267211

रैगिंग क्या है ?

रैगिंग के अंतर्गत :-

कोलाहल पूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिड़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी अनुशासन क्रियाकलापों में संलग्न होना, इससे नये छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्र से ऐसा कार्य करने के लिये कहना जो छात्र/छात्रा सामान्यत: नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो।

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1995) अनुच्छेद - 2(29) के अनुसार

रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है :-

किसी छात्र को मजाक में या किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना जो मानव मर्यादा के खिलाफ हो या उसके व्यक्तिगत के विपरीत हो या जससे वह हास्यास्पद हो जाए या डरा-धमकाकर गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुंचाकर उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना,

रैगिंग का स्वरूप -

रैगिंग निम्नांकित रूपो (सूची केवल निर्देशात्मक है सम्पूर्ण नही) में पायी जाती है -

स्पष्ट आदेश

सिनियर छात्रों को सर कहने के लिए,
सामूहिक कवायद करने लिए,
सिनियरों के क्लास नोट्स उतारने के लिए,
अनेक सौपे हुए कार्य करने के लिए,
सिनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए,
अश्लील प्रश्न पूछने या उसका उत्तर देने के लिए,
नये छात्रों को सीधेपन के विपरीत आघात पहुंचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए
शराब, उबलती हुई चाय आदि पीने के लिए बाध्य करना,
कामुक संकेतार्थ वाले कार्य जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है।
नंगा करना, चुंबन लेना आदि,
अन्य अश्लीलताएँ करना,
उपर्युक्त से यह विदित होता है कि प्रथम पांच को छोड़कर अधिकतर रैगिंक के विकृत रूपों से युक्त है।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिये जाने वाला दण्ड :-

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा/छात्रावास के निष्कासित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय अंतराष्ट्रीय तथा युवा-उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध
7. संस्था से रेस्टकेट किया जाना।
8. आर्थिक दण्ड रूपये 25000/- तक।

अपनी बात ....

प्रिय विद्यार्थियों :-

नया शिक्षा सत्र आरंभ होने जा रहा है, मुझे खुशी है कि आप एक ऐसी संस्था में प्रवेश लेने जा रहे हैं, जो न केवल 2018-19 से धरती बचाओ योजना का प्रणयन कर रहा है, अपितु विकास के नित नवीन क्षितिज को स्पर्श करने का आतुर है, इस महाविद्यालय में अनेक प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को जन्म दिया है, जिन्होने विभिन्न क्षेत्रों में अपना और महाविद्यालय का नाम रोशन किया है, यह महाविद्यालय अपनी स्थापनाकाल से ही अनेक उच्च परम्पराओं एवं सोपानों का निर्वहन दर्शाता और कुशलता से करता आ रहा है। यहां साहित्यिक, सांस्कृतिक क्रीडा के विभिन्न आयोजन गौरवशाली परम्परा के अनुरूप प्रतिवर्ष सम्पन्न कराया जाता है।

शुभकामनाओं के साथ ...

प्राचार्य
शासकीय कुंज बिहारी चौबे महाविद्यालय
लाल बहादुर नगर

एक संक्षिप्त परिचय...

क्रांतिकारी व्यक्तित्व कुंजबिहारी चौबे जी

वर्तमान में नांदगांव के वार्ड नं. 01 नवागांव में 15 जुलाई 1916 को जन्मे श्री कुंजबिहारी चौबे जी बचपन से ही अंग्रेजी के प्रति नफरत के भाव से प्रेरित थे यही कारण है कि स्थानीय स्टेट हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हुए नुनियन जैक (अंग्रेजी राज) का झंडा उतार देने के कारण उन्हें न केवल बैत से मार खाने की सजा मिली अपितु स्कूल से भी बेदखल कर दिया गया था।

विद्रोही कवि के नाम से विख्यात श्री कुंजबिहारी चौबे प्रतिभाशाली छात्र से उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में कविताएँ लिखना प्रारंभ कर दिया था, जेल में रहकर भी उन्होंने काव्य की रचना की। उनके काव्य की भाषा छत्तीसगढ़ी थी। वे भारत की पराधिनता से सदा दुखी रहते थे। प्रगतिशील विचारधारा उनमें कूट-कूटकर भरी हुई थी। सामाजिक विषमता के प्रति उनके मन में अत्यंत ही घृणा थी, फलत: विद्रोही के स्वर में उनके कविता का मूल गुण रहा है , 27 वर्ष की अल्पायु में छत्तीसगढ़ी कविता में अपना अक्षय छाप छोड़कर इस दुनिया से चले गए।

उनकी "चल-चल रे किसान" , "बियासी के नागर" आदि को काफी सराहा गया अन्य कविताएँ भी काफी लोकप्रिय हुई।

जन्म दिनांक 15 जुलाई 1916 - मृत्यु 5 जनवरी 1944

महाविद्यालय में संचालित संकाय, विषय एवं पाठ्यक्रम तथा प्रवेश हेतु निर्धारित छात्र संख्या

वाणिज्य संकाय :- स्व. वित्तीय योजना

	कक्षा	प्रवेश हेतु निर्धारित छात्र संख्या
1.	बी. काम भाग - 1	60
2.	बी. काम भाग - 2	60
3.	बी. काम भाग - 3	60

कला संकाय :-

	कक्षा	प्रवेश हेतु निर्धारित छात्र संख्या
1.	बी.ए. भाग - 1	180
2.	बी.ए. भाग - 2	180
3.	बी.ए. भाग - 3	180

विषय : इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर निम्न विषयों के अध्यापन की अनुमति है :-

(आधार पाठ्यक्रम सब के लिए अनिवार्य को छोड़कर)

1. हिन्दी साहित्य
2. अंग्रेजी साहित्य
3. राजनीति शास्त्र
4. अर्थशास्त्र
5. समाज शास्त्र
6. भूगोल
7. इतिहास

विज्ञान संकाय :-

		प्रवेश हेतु निर्धारित छात्र संख्या
1.	गणित	60
2.	भौतिक शास्त्र	60
3.	वनस्पत्ती शास्त्र	60
4.	रसायन शास्त्र	60
5.	प्राणीशास्त्र	60

स्नातकोत्तर :-

	कक्षा	प्रवेश हेतु निर्धारित छात्र संख्या
1.	एम.ए. हिन्दी	25 संभावित
2.	एम. ए. राजनीति	25 संभावित

पुस्तकों की वापसी

1. महाविद्यालय में इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं की अंकसूची/ स्थानांतरण प्रमाण पत्र तभी प्रदान किये जायेंगे जब वे प्रदाय की गई सभी पुस्तकें वापस करेंगे।
2. छात्र जो 15 दिवस तक इस महाविद्यालय में अध्ययन में अनुपस्थित होते हैं तो उनके द्वारा ली गई पुस्तक/पुस्तकें अविलम्ब प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लिखा जायेगा।
3. पुस्तकें वापस नहीं किये जाने पर उन्हें परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
4. प्रत्येक माह प्राचार्य द्वारा संबंधित छात्र की पुस्तकें वापस नहीं किये जाने की सूचना छात्र के अभिभावक को सूचित करेंगे तथा संचालनालय को ऐसे समस्त छात्रों पर की गई कार्यवाही से अवगत करायेंगे।
5. अनुशासन समिति उक्त प्रकरणों की समीक्षा समय-समय पर करेंगी।
6. संबंधित प्राध्यापक/ग्रंथपाल का उत्तरदायित्व होगा कि उपरोक्त प्रक्रिया का अक्षरश: पालन किया जावें और उस संबंध के सभी अभिलेख व्यवस्थित रखें जावें , अन्यथा पुस्तकों की वापसी न होने पर पुस्तकों की कीमत संबंधित ग्रंथपाल/प्राध्यापक से वसूल की जावेंगी।
7. सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के पश्चात् जो छात्र सत्र उपरान्त पुस्तकें वापस नहीं करेंगे। उनके खिलाफ थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावेगी। तथा संचालनालय को तत् संबंधी सूचना देंगे।

शारीरिक शिक्षा विभाग

विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिये पाठ्यक्रम शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा खेलकूद का प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में भाग ले चुके विद्यार्थी को प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी। राज्यशासन द्वारा घोषित नीति के तहत छात्र/छात्रा को किसी न किसी खेल में प्रतिभागी होना अनिवार्य है। महाविद्यालय में निम्न प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षण देकर राज्य स्तरीय, विश्वविद्यालयीन स्तर प्रतियोगिता हेतु टीम का चयन क्रीडा समिति के तत्वाधान में किया जाता है :-

1.	क्रिकेट	2.	बैडमिन्टन	
3.	हॉकी	4.	फुटबॉल	
5.	कबड्डी	6.	वॉलीबॉल	
7.	शतरंज	8.	खो-खो	9. एथलेटिक्स

महाविद्यालय में क्रीडा प्रतियोगिता के सम्पादन हेतु हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल हेतु खुले क्रीडांगन है।

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर

1. प्रयुक्ति :-

1.1. ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश प्रमाण 6 व 7 के प्रावधान के साथ सपठित करते हुए लागु होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2. प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश" से आशय स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष/पूर्व वर्ष में प्रवेश से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

महाविद्यालय में प्रवेश के लिये अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण-पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किए जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम 7 दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन-पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना -

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 जून तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कण्डिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र "अ" के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था ? उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण "ब" में हो गया, इस स्थान के "ब" के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान "अ" के पालक के स्थान "ब" में स्थानांतरण होते ही, स्थान "ब" के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। अत: अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक "ख" को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है।

2.3. पुर्नमुल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुर्नमुल्यांकन उत्तीर्ण छात्रों को पुर्नमुल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 25 दिनों तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

2.4. पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि :-

पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर ही गुणानुक्रम के आधार पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी। अन्य कक्षाओं में 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से अस्थाई प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय में पूरक परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिनों तक विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन जो भी पहले हो, मान्य होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर प्राचार्य विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्र संख्या का निर्धारण करेंगे प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि समाप्ति के बाद 15 दिनों के भीतर प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं की कक्षा/विषयवार संख्या का शासन से अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा ? ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं की संख्या महाविद्यालय में निर्धारित सीटों की संख्या से अधिक न हो।

3.2. विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावें। संबंद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं महा अधिभार देय हैं वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण-पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने पर स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के ही पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्रवेश दिया गया, रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिए।

4.3. निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जायें।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100रू. अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा। प्राचार्य 30 जुलाई तक प्रवेश देने में सक्षम हैं। तथापि स्थान रिक्त रहने पर कुलपति की अनुमति से प्रवेश दिया जा सकेगा।

4.5. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति डुप्लीकेट के आधार प्रवेश नहीं दिया जायेगा। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासन हीनता//तोड़-फोड़ आदि से संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां की छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है

5. प्रवेश की प्रात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

(क) छत्तीसगढ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्द्धशासकीय कर्मचारी या प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाये। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर ही प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) संबंध विश्वविद्यालय या संबंध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2. स्नातक स्तर नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी, किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एच.एस.सी. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश की प्रात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों की उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4. विधि संकाय नियमित प्रवेश -

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की प्रात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक - सीमा

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है, तो 40 प्रतिशत तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहां 45 प्रतिशत होगी। एम.एल.एम. पूर्वार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा :-

6.1. सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई) इंडियन कौंसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2. सामान्यत: भारत स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य है। उनकी समस्त परीक्षाए छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

उस्मानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय, जैसे-बी.ए./बी.कॉम डायरेक्ट वन सिटिंग परीक्षाएँ मान्य नहीं है।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1. स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी./बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावें। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जायें।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावें।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

8.1. स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2. स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की प्रात्रता होगी।

8.3. विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4. उपरोक्त कंडिका 9 के खण्ड-1 एवं खण्ड-2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की प्रात्रता नहीं होगी।

8.5. पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वत: निरस्त हो जावेगा।

उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

9.1. किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुन: नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2. जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो, और अन्य न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यव्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/ चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।

9.3. महाविद्यालय में तोड़ फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जायें। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न देने दिया जावें।

9.4. (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश प्रात्रता नहीं होगी। आयु की गणना 1 जुलाई की स्थिति में की जायेगी। परन्तु आयु सीमा के बंधन में छात्राओं को 3 वर्ष की छूट रहेगी।

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशितों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु सीमा का बंधन नहीं होगा।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट होगी।

9.5. पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि मे लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

9.6. किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों में स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणनुक्रम का निर्धारण :-

10.1. उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर,

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2. अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1. स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2. स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमि भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेग

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं मे पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण परंतु 48 प्रतिशत एग्रीगेट प्रा करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावें, अन्य क्रम यथावत् रहेगा।

11.4. आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उनके निवास स्थान/तहसील/जि में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों आवेदकों प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावें, आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अ जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उ गुणानुक्रम में प्रवेश दिया जावेगा।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालय के लिए नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातको परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थि में ही प्रवेश दिया जा सकता।

12. आरक्षण

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा) अनुसूचित जन जाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के क्रमश: 12 प्रतिश तथा 32 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। प्रवेश की अंतिम ति पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.वर्ग से भ जावेगी। इस हेतु प्राचार्य एक 05 सदस्यीय समिति गठित करेंगे, जिसमें एक जन भागीदारी के सदस्य रहेंगे समि अ.जा. एवं अ.ज.जा. के रिक्त सीटों को सामान्य अ.पि.वर्ग के गुणानुक्रम में भरकर सूची को सूचना पटल पर चस्प करेंगे।

12.2. पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

12.3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्था आरक्षित होंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्ताकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलि गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत महिला छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन श्रेणी काम्पीटश में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परंतु यदि ऐस विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भ मानी जावेगी, शेष सवंर्ग की सीटें भरी जावेगी।

12.6. आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/ प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 प्रवेश निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्र/छात्राएँ उपलब्ध न होने प आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी में उपलब्ध रहेंगे।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जायें।

13. अधिभार

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्म प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त हाने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द के स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जावें।

(क) एन.सी.सी./एन.एस.एस. - "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख) एन.सी.सी./एन.एस.एस. - "बी" सटिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./ एन.एस.एस कान्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	15 प्रतिशत
(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय के लिए चयनित करने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत
(ल) राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत

13.2. आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10%

13.3. स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर 05%

13.4. खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं -

1) लोकशिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

क) प्रथम, द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	0.2 %
ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	0.4 %

2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंर्तसंभाग, राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंर्तक्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

क) प्रथम,द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 0.6%

ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 0.7%

ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 0.5%

3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 15%

ख) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान अर्जित करने वाले टीम के सदस्य को 12%

ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10%

13.5. भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ अथवा साईन्स कल्चर एक्चेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कलाक्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को

13.6 छत्तीसगढ शासन/म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में-

क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10%

ख) प्रथम,द्वितयी, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्यों को 12%

13.7 जम्मूकाश्मीर के स्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01%

13.8 विशेष प्रोत्साहन :-

छ.ग राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बिना गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जावें जिनकी उन्हें प्रात्रता है कि :-

1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों के संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया हों एवं

2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परंतु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुन: प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.9 प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत 3 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किया जायेंगे। स्नातक द्वितीय,तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों को 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलंब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयाविध को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाईजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत् है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा। महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष :-

16.1. जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समूचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्काषित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने के अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं दिया जायेगा।

16.5. प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतो के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण मेंअनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जावें।

16.6. इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है, इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरस्त/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र :-

छात्र-छात्राओं को आवेदन पत्र महाविद्यालय में निर्धारित प्रपत्र में देना होगा। जिसे कार्यालय से

आवश्यक शुल्क देने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों का संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जावेगा।

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति (केवल उन्हीं आवेदक के लिए जो गतवर्ष महाविद्यालय के नियमित छात्र नहीं थे।)
2. नये छात्र/छात्राओं के लिए पासपोर्ट साईज फोटो की दो प्रतियां (एक प्रति आवेदन के लिये निर्धारित स्थान पर चिपकाएँ तथा दूसरी प्रति परिचय पत्र के लिए युपिन से या आलपिन से लगाये) गतवर्ष के छात्र अपना परिचय संलग्न करें।
3. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र, अंकसूची की प्रामाणिक सत्य प्रतिलिपि भाग-1 में प्रवेश हेतु।
4. अंकसूची की फोटोकापी।
5. चरित्र संबंधित नवीनतम 2 प्रमाण पत्र (दो विभिन्न व्यक्तियों से लिए गए) ये प्रमाण पत्र केवल उन्हीं छात्रों द्वारा प्रस्तुत किये जाये जिन्होने गत परीक्षा स्वाध्यायी (प्राइवेट) परीक्षा के रूप में उत्तीर्ण की है।
6. नियोक्ता का प्रमाण पत्र (केवल उन्हीं छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक है जो सेवारत् है)
7. प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) यदि आवेदक किसी अन्य विश्वविद्यालय/बोर्ड से आया है।
8. अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग छात्र/माता पिता के मध्यप्रदेश शासन में द्वितीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र।
9. मृत शासकीय कर्मचारी के पुत्र होने का प्रमाण पत्र।
10. गैप होने पर छात्र का शपथ पत्र निम्नलिखित प्रारूप देना होगा। (गैप वर्षों के लिये)

...शपथ पत्र का प्रारूप...

मैं ..... आत्मज/आत्मजा.....

पता ग्राम/वार्ड ..... निवासी पता ..... यह

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि

1. मैं सत्र ..... से सत्र ..... किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है।

2. मैने इस दौरान उपर्युक्त अवधि में किसी भी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में परीक्षा के लिए न तो कभी आवेदन किया है और नहीं परीक्षा में बैठा/बैठी हूँ।

गवाह के हस्ताक्षर

1. .....

2. .....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

छात्रवृत्तियां :-

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों के अनुसार विभिन्न वर्गों के लिए छात्रवृत्तियां दी जावेगी।

आचार संहिता :-

प्रत्येक छात्र को ध्यान रखना होगा कि उनके आचरण से महाविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं कीर्ति में निरंतर वृद्धि हो। अनुशासन का सदा पालन करें। कभी भी अश्लील या अशोभनीय व्यवहार न करें। धुम्रपान एवं मादक पदार्थों का सेवन वर्जित है। कॉलेज की संपत्ति भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की सुरक्षा प्रत्येक छात्र का दायित्व है। आंदोलन हिन्सा, आंतक आदि द्वारा किसी समस्या का हल न निकालें अपितु उन्हें गुरूजन अथवा प्राचार्य के समक्ष विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत करें। दलगत राजनीतिक दलों अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं करेंगें। छात्र अध्ययन एवं पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेगा तथा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग दुराचार माना जायेगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं अनुशासन का पालन आवश्यक होगा। उन नियमों के भंग होने पर छात्र/छात्रा को कॉलेज से निष्कासित किया जा सकेगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी।

सामान्य नियम :-

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरश: पालन करना होगा। इसका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालिन वेषभूषा में विद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।

2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा। साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय व्यवहार का प्रयोग, गाली-गलौच मारपीट या अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।

4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता व भ्राता का व्यवहार करेगा।

5. महाविद्यालय को स्वच्छ बनाए रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है वह सरल निव्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।

6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन वर्जित है।

7.महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सक्त मना है। विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।

8. अपनी मांगों का प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा या आंतक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं तथा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।

9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम :-

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी।

2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा।

3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तके प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दंड देना होगा।

4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाइयों के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन करेगा।

5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशाला या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्निचर, फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम :-

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

2. अस्वस्थता वश आंतरिक परीक्षाओं सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सालय से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा।

3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम-2001 के अनुसार रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

3. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जावेगा। महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उनके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति सम्मुख रखेंगे।

बुक बैंक :-

महाविद्यालय में निर्धन एवं प्रतिभाशाली छात्रों के लिए बुक बैंक की सुविधा है परीक्षा अवधि के लिए पुस्तकों का डेढ़ गुना मूल्य जमा कर पुस्तकें ली जा सकती है।

विशेष :-

1. महाविद्यालय में उत्पन्न किसी भी समस्या व मामले पर प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

2. प्रवेश के नियमों में छ.ग. शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

महाविद्यालय के रोजगार उपयोगी उपक्रम :-

1. बी. कॉम. कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन संभावित है।

विशेष :- महाविद्यालय में रोजगार मार्गदर्शक विभाग कार्यरत् हैं जिसके द्वारा छात्रों को समय-समय पर रिक्त पदों की जानकारी तथा प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी एवं दिशा निर्देश दिया जाता है।

प्राचार्य

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 (क्र. 30 जून 2011) एवं उक्त अधिनियम के तहत् बनाये गये छ.ग. लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय की भुगतान नियम 2011)

पदाभिहित अधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा कार्यालय - आर.के. ठाकुर (प्राचार्य)
वास्ते -डॉ ए.आर. ध्रुव प्रभारी, शास. कुंज बिहारी चौबे महाविद्यालय, लाल बहादुर नगर

स. क्र.	अधिसूची लोक सेवा	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वो दस्तावेजों की सूची	सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चिय समय सीमा	सक्षम अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं कार्यालय का पता	अपील के निराकरण हेतु समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1	सभी प्रकार के रिफंड का भुगतान	1. आवेदन पत्र, 2. परिचय पत्र, 3. जमा राशि की मूल प्रति	15 दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	
2	महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र का निपटारा	निर्धारित आवेदन पत्र एवं निर्धारित फोटो के साथ मूल स्थानांतारण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, विगत उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची, छ.ग. शासन का निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, गेप होने की स्थिति में गेप सर्टीफिकेट, विगत परीक्षा के बाहर के बोर्ड, विश्व, विद्यालय द्वारा प्रत्रता प्राप्त आवेदन फार्म के साथ जमा करना होगा। डुप्लीकेट प्रमाण पत्र पत्र होने की स्थिति में थाना में रिपोर्ट की गई एफ.आई.आर की प्रति एवं वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। पूर्व वर्ष के नियमित विद्यार्थियों को अपना परिचय पत्र, आवेदन के साथ जमा करना होगा।	प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	
3	छात्रवृत्ति फार्म जमा करना	निर्धारित आवेदन, विगत उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची एवं नियमानुसार आय, जाति निवास, परिचय पत्र एवं फीस रसीद की छायाप्रति जमा करना होगा।	30 दिवस के भीतर	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	
4	छात्रवृत्ति का भुगतान	छात्रवृत्ति का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना खाता खोलकर खाता नंबर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। छात्रवृत्ति चेक द्वारा भुगतान अथवा शासन द्वारा उनके खाते में हस्तांतरण किया जावेगा	15 दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	

5	पुस्तकों का प्रदाय	स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को 2 पुस्तकें 15 दिन के लिये निर्गमित किया जाता है। ग्रंथालय से पुस्तक प्राप्त करते समय परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही पुस्तक प्रदान की जावेगी।	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	
6	स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना	आवेदन पत्र के साथ संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना एवं विगत नियमित परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची की छायाप्रति एवं परिचय पत्र गुम हो जाने की दशा में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	15 दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	
7	परिचय पत्र	स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र केसाथ 2 पासपोर्ट फोटो लगाना आवश्यक है। भाग दो व अंतिम वर्ष के प्रवेश हेतु आवेदन फार्म में विगत वर्ष जारी परिचय पत्र लगाना होगा।	15 दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	
8	मार्कशीट	अंकसूची प्राप्त करने हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रवेश पत्र, विशेष परिस्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	15 दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	
9	चरित्र प्रमाण पत्र	स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ दिया जावेगा। विशेष परिस्थिति में चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।	30 दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	

पदाभहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं कक्ष क्रमांक	श्री डी. एल. यादव, सहायक ग्रेड तीन (कार्यालय में)
2. अपील प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा	सक्षम अधिकारी के विनिश्चय से 30 दिन के भीतर

उच्च शिक्षा विभाग का सिटीजन चार्टर

1. उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास के लिए उत्तरदायी है। विभाग के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उच्च शिक्षा के अध्ययन/अध्यापन के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्याल संचालित है जिनका शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर विभाग एवं विश्वविद्यालय का नियंत्रण है
2. जनसाधारण के अपेक्षाओं के अनुरूप महाविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को बनाये रखने के कार्य में उच्च शिक्षा विभाग प्रयासरत है। शासकीय महाविद्यालय में निम्नलिखित कार्यों के संबंध में समय-समय प निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

स.क्र.	विवरण	जिम्मेदार अधिकारी	समय सीमा	निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही नहीं होने की दशा किस तरह के अधिकारी से संप किया जा सकता है।
1	2	3	4	5
1	सभी प्रकार के रिकार्डो का भुगतान	संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य	आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस	क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग
2	महाविद्यालय के लिए प्राचार्य द्वारा क्रय की गई सामग्रियों के देयक का भुगतान	संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य	आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस	क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग

3. उपरोक्त कालम 3 में अंकित अधिकारी के समय सीमा में कार्यवाही ना किये जाने की शिकायत अन्य प्रकार की शिकायत भी की जा सकती है। मंत्रालय स्तर पर अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो उन शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करते हैं आयुक्त द्वारा उच्च शिक्षा स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया गया है। शिकायतों के निराकर के लिए महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य को जन शिकायत निराकरण के लिए जिम्मेदार बनाया गया है शिकायतों के निराकरण के लिए महाविद्यालय स्तर पर एवं संभाग स्तर पर 15 दिन तथा राज्य सरका स्तर पर 30 दिन की समय सीमा निश्चित की गई है।

प्रमुख सचिव

छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग

प्रवेश शुल्क विवरण

अशासकीय शुल्क	राशि
1. परिचय पत्र शुल्क	50/-
2. शारीरिक कल्याण शुल्क	150/-
3. चिकित्सा शुल्क	3/-
4. महाविद्यालय जांच शुल्क	4/-
5. ग्रंथालय शुल्क	10/-
6. सुरक्षा निधि	60/-
7. स्थानीय परीक्षा शुल्क	50/-
8. महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	5/-
9. प्रवेश शुल्क	2/-
10. निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5/-
11. महाविद्यालय विकास शुल्क	100/-
12. सम्मिलित निधि	32/-
13. वार्षिक उत्सव	5/-
14. वाचनालय शुल्क	20/-
15. जनभागीदारी शुल्क	400/-
16. रेडक्रास सोसायटी शुल्क	25/-
17. विज्ञान प्रायोगिक शुल्क	50/-
योग	946/-

शासकीय शुल्क	राशि
1. प्रवेश शुल्क	3/-
2. स्टेशनरी शुल्क	2/-
3. शिक्षण शुल्क	115/-
4. प्रायोगिक शुल्क	20/-
योग	140/-

शासकीय कुंज बिहारी चौबे महाविद्यालय, लाल बहादुर नगर

परिवार की जानकारी

1.	सहायक प्राध्यापक (भूगोल)	डॉ. आर.के. ठाकुर	7587764806
2.	सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)	प्रो. बी.आर. चंद्रवंशी	9424119806
3.	सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र)	प्रो. भरत लाल यादव	8818802765
4.	सहायक प्राध्यापक (राजनीति)	डॉ. ए.आर. ध्रुव	9406238782
5.	सहायक प्राध्यापक (गणित)	प्रो. मनोहर बोकड़े	9406083836
6.	सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)	डॉ.श्रीमती हेमलता गायकवाड़	9479028123
7.	ग्रंथपाल	श्रीमती अनिता सक्सेना	9425593675
8.	सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र)	रिक्त पद	
9.	सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी)	रिक्त पद	
10.	सहायक प्राध्यापक इतिहास	जनभागीदारी से संचालित पद स्वीकृत की संभावना	
11.	भौतिक शास्त्र	रिक्त पद	
12.	प्राणिशास्त्र	रिक्त पद	
13.	वनस्पति शास्त्र	रिक्त पद	

:: कार्यालय परिवार ::

1.	श्री जुगल किशोर देवांगन	सहायक ग्रेड-02	7049633584
2.	श्री धनेश्वर लाल यादव	सहायक ग्रेड-03	9302125568
3.	श्री गंगादास महिपाल	भृत्य	8817611752
4.	श्री गुप्तेश्वर सिंह ध्रुवे	प्रयोगशाला परिचालक	9406038312
5.	श्री गौतम रगड़े	स्वीपर	7389666028
6.	श्री मंशाराम चंद्रवंशी	भृत्य	9407943428